

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 04.10.13

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - ५४३ /2013-14)

विषय:- पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय किश्त की राशि का जिला परिषदों व पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4 () परावि/पी.सी./निरायो/बजट/2013-14/1035 दिनांक 27.9.13 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 29,15,77,500/- (अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ पन्द्रह लाख सतत्तर हजार पांच सौ मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(15) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(16) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(17) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	
351.115	98.1275	133.9125	583.1555

(सारणी "अ" के अनुसार)

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता


मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(10) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]- कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(11) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(12) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	
1403.975	392.7525	535.8925	2332.62
		कुल योग	2915.775

(सारणी "ब" के अनुसार)

कुल योग - राशि रूपये 2915.775 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।


04.10.13
(सुधीर शर्मा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

Secundant
04.10.13
निदेशक, वित्त (बजट)